रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 2004/श्रावण 19, 1926
No. 139] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 2004/SRAVANA 19, 1926

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
(मुख्य कार्यालय)

अधिसूचना

पुणे, 30 जून, 2004

क्र. एएक्स-1/कार्मिक/ओएसआर/2911/2004.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5), की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में पुनः संशोधन हेतु, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन (संशोधित) विनियम, 2004 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे।

2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत (क) उपधारा (3) के बाद विनियम 2 के उप-विनियम (एस) के खंड (ख) में निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) 1960=100 शृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक के 1148 अंकों तक परिकलित महंगाई भत्ता।"

(ख) उप-विनियम (6) के लिए विनियम 41 में निम्नलिखित उप-विनियम प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) जो आवेदक अधिवार्षिता पेंशन या स्वेच्छानिवृत्ति पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता हेतु अधिकृत है, वह इन विनियमों के अधीन अपनी पेंशन के अंश को संराशीकृत करने हेतु पात्र होगा। परंतु, यह तब जबकि, 1-7-2003 को या से ऐसे आवेदक की दशा में जिनके मामले में, पेंशन का संराशीकृत मूल्य सेवानिवृत्ति के अगले दिन या संराशीकरण निरपेक्ष होने के दिनांक से देय होता है, तो संराशीकरण के कारण पेंशन की रकम में आई कमी इसके प्रारंभ के दिनांक से लागू होगी। तथापि, जहां संराशीकृत पेंशन की रकम का भुगतान यथाप्रसंग सेवानिवृत्ति के दिनांक से पहले माह या संराशीकरण निरपेक्ष होने के दिनांक से पहले माह के भीतर नहीं होता है, तो मासिक पेंशन और संराशीकृत पेंशन के अंतर का भुगतान यथाप्रसंग सेवानिवृत्ति के अगले दिन से या संराशीकरण निरपेक्ष होने के दिनांक से, जिस दिनांक को संराशीकृत पेंशन को प्रदत्त माना गया है, उससे पिछली दिनांक तक किया जाएगा।"

वि. ए. दळवी, उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन/III/IV/318/04-असाधारण]

पाद-टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र में 29-9-1995 को (असाधारण) प्रकाशित हुए हैं और तदुपरांत संशोधन राजपत्र में निम्नानुसार प्रकाशित हुए —

अ.क्र.	अधिसूचना क्र.	दिनांक
1. विनियम 22(4)	एएक्स1/कार्मिक/ओएसआर/4464/2000	22-7-2000
2. विनियम 28	एएक्स1/कार्मिक/ओएसआर/1126	3-3-2003
3. विनियम 2, 3, 12, 18, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 48	एएक्स1/कार्मिक/ओएसआर/1539	3-4-2003

BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office)

NOTIFICATION

Pune, the 30th June, 2004.

No. AX-1/ST/OSR/2911/2004.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Maharashtra in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Bank of Maharashtra (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

1. (1) These Regulations may be called Bank of Maharashtra (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2004.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bank of Maharashtra (Employees') Pension Regulations, 1995.

   (a) in clause (b) to sub-regulation (s) of regulation 2, after sub-clause

   (iii) the following sub-clause shall be inserted namely:—

   "(iv) dearness allowance calculated upto index number 1148 points in the All India Average Consumer Price Index for industrial workers in the series 1960=100,"

   (b) In Regulation 41, for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely—

   "(6) An applicant who is authorised a superannuation pension OR voluntary retirement pension OR premature retirement pension OR compulsory retirement pension OR invalid pension OR compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these Regulations:

Provided that on and from 1-7-2003, in case of an applicant in whose case, the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of his retirement or from the date from which the commutation becomes absolute, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall become operative from its inception. Where, however, payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement or within the first month after the date when the commutation becomes absolute as the case may be, the difference between the monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date following the date of retirement or the date when the commutation becomes absolute as the case may be, and the date preceding the date on which commuted value of pension is deemed to have been paid."

V. E. DALVI, Dy. General Manager (Personnel)

[ADVT/III/IV/318/04-Exty.]

Foot Note:— The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29-09-1995 (Extraordinary) and subsequent amendments were published in the Gazette as under—

No.	Regulations	Notification No	Date
01.	Regulation 22 (4)	AX-1/ST/OSR/4464/2000	22-07-2000
02.	Regulation 28	AX-1/ST/OSR/1126	03-03-2003
03.	Regulations, 2, 3 12, 18, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 48	AX-1/ST/OSR/1539	03-04-2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.